न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:- 42/2025
प्रकरण दायर दिनांक:-12.05.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक:-25.02.2026

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी प्रतापपुरा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:-वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:-प्रतिवादी

दावा उदघोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड

प्रकरण निर्णय दिनांक:-25.02.2026

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी दावा उदघोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड जर्ये वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा के इस आशय से पेश किया कि वाके ग्राम अक्षयपुरी पटवार हल्का बांदीकुई जिला दौसा में भुमि खाता संख्या नया 11 पुराना 11 जिसके खसरा नम्बरान 333, 334, 335, 336, 337, 338, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 कुल किता 90 कुल रकबा 12.29 हैक्ट स्थित है। जिसे आगे चल कर वाद पत्र में भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 संलग्न वाद पत्र है। मिन वादी का उक्त भुमि मुतदाविया में नाम छोटेलाल पुत्र रामसहाय दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय है जो वादी के समस्त दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की अंकतालिका, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि में सही नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज है। वादी का सिजरा खानदान निम्न अनुसार है। वादी के पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी/वादी का घर बोला नाम छोटेलाल पुत्र रामसहाय सहवन से नामान्तकरण खुलने के समय गलत दर्ज हो गया है। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजो में नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज है। छोटेलाल व रामस्वरूप वादी के ही नाम है। छोटेलाल पुत्र रामसहाय अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिये अब वादी का नाम उक्त जमाबन्दी में छोटेलाल को

αԿε—

हजफ कर रामस्वरूप पुत्र रामसहाय रेवेन्यु रिकार्ड में शुद्ध नाम दर्ज करवाना चाहता है इसलिये वाद पत्र श्रीमान के सेवामें पेश किया है। वादी के पहचान के समस्त दस्तावेजों में सही व शुद्ध नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज है व राजस्व रिकार्ड भूमि जमाबन्दी अशुद्ध नाम छोटेलाल पुत्र रामसहाय दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा देह लाभ से प्रार्थी वंचित है। इसलिये वादी भूमि मुतदाविया ने जमाबन्दी में अपना अशुद्ध नाम को सही शुद्ध करवाने का अधिकार है। वादी को दिनांक 09.04.2025 को अपने पिता के नाम के नामान्तकरण की प्रति लेने पर उक्त अशुद्ध नाम की जानकारी होने पर उसी दिन प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांदीकुई को पेश किया तो तहसीलदार बांदीकुई ने नाम शुद्ध करने से मना कर दिया और प्रार्थी से कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब मैं तेरा नाम शुद्ध करूंगा। इसलिये वादी प्रार्थी को दावा पेश करना लाजमी आया है। दावा बिना देरी के जानकारी दिनांक 09.04.2025 को होने पर व प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांदीकुई को देने व तहसीलदार द्वारा नाम शुद्ध करने से इंकार करने के कारण दावा अन्दर मियाद पेश है। वाद न्यायालय हाजा को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी वर खिलाफ प्रतिवादी निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिकी फरमायी जावे कि भूमि डिकी उद्घोषण बहक वादी वर खिलाफ प्रतिवादी इस अमर फरमायी जावे की भूमि मुतदाविया ग्राम अक्षयपुरी पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खाता संख्या नया 11 पुराना 11 जिसके खसरा नम्बरान 333, 334, 335, 336, 337, 338, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 कुल किता 90 कुल रकबा 12.29 हैक्ट स्थित है में वादी का हिस्सा 1/160 में वादी का गलत नाम छोटेलाल पुत्र रामस्वरूप को हजफ कर सही नाम व शद्ध नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज किया जावें। इस अमर की डिकी वादी के हक में पारित फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार उपस्थित इस बाबत दिनांक 05.08.2025 को आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्र कमांक/भू.अ./2025/10946 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अक्षयपुरी के खाता संख्या 11 किता 90 कुल रकबा 12.29 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र रामसहाय जाति बैरवा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय दर्ज है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि रामस्वरूप पुत्र रामसहाय व छोटेलाल पुत्र रामसहाय दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी वकील द्वारा वाद पत्र पर बहस की गयी। वादी वकील ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर वादी वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तोवजात का अवलोकन किया। अतः वादी वकील की बहस

पर मनन करने, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि नामान्तकरण खोलते समय वादी का नाम छोटेलाल पुत्र रामसहाय सहवन से दर्ज हो गया। इस कारण ग्राम अक्षयपुरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 की खाता संख्या नया 11 पुराना 11 में वादी का नाम छोटेलाल पुत्र रामसहाय सहवन से दर्ज हुआ है जबकि वादी का सही नाम रामस्वरूप पुत्र रामसहाय है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम अक्षयपुरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता संख्या नया 11 पुराना 11 किता 90 कुल रकबा 12.29 हैक्टेयर में तहसीलदार बांदीकुई स्वयं जॉच करें एवं पूर्ण संतुष्ट होवे कि रामस्वरूप पुत्र रामसहाय एवं छोटेलाल पुत्र रामसहाय दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है अथवा नहीं। यदि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हो तो उक्त रिकॉर्ड में से गलत नाम हजफ कर उसके स्थान पर शुद्ध नाम दर्ज कर विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉंदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/02/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। साक्ष्य पेश नहीं। अतः साक्ष्य बंद की जाती है। वकील वादी द्वारा बहस की गयी। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः वकील वादी बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद उद्घोषणा एवं दुरुस्ती रिकॉर्ड स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण बाद तकमील कैफियत शुमार हेतु दाखिल दफ्तर हो। [signature] 25/02 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

FC

कलेक्टर